रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2015/फाल्गुन 7, 1936
No. 52] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2015/PHALGUNA 7, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2015

सं. यू-23013/30/2014-एलडब्ल्यू-बी.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना का.आ. संख्या 319(अ) दिनांक 08.05.1991 की पृष्ठभूमि में, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 8(i), (ii) और (iv) में दर्शाए गए कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में कांडला पोर्ट ट्रस्ट को छूट प्रदान करने पर विचार करने के लिए एतद्द्वारा एक समिति का गठन करता है।

2. इस समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

i. श्री राज बिहारी शर्मा, -सदस्य
भारतीय मजदूर संघ, (बीएमएस), 42, पटेल कॉलोनी,
सरदार पटेल मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर-302001

ii. श्री प्रभाकर सिंह, -सदस्य
मुख्य अभियंता (एनडीजेड-I), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

iii. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद -सदस्य-संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

"इस बात का अध्ययन करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या 8(i) में दर्शाए गए कार्यों में, पत्तन क्षेत्र से साफ सफाई और कूड़ा-कचड़ा तथा राख हटाने, 8(ii) नई योजनाओं के भाग बने पलंबिंग एवं बागवानी कार्यों को छोड़कर, जिन्हें वाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादित किया जाना होगा, और उक्त अधिसूचना में उल्लिखित 8(iv) पोर्ट ट्रस्ट गैस्ट हाउस में पलंबिंग एवं बागवानी कार्यों, स्वच्छता, साफ सफाई के क्षेत्र में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने वाली अधिसूचना का.आ. संख्या 319(अ) दिनांक 08.05.1991 की पृष्ठभूमि में, कांडला पोर्ट ट्रस्ट को छूट प्रदान करने में कोई औचित्य है।"

4. इस समिति का मुख्यालय अहमदाबाद में होगा। यह समिति पक्षकारों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, प्रस्तुतीकरण की अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी।

जी.के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th February, 2015

No. U-23013/30/2014-L.W-B.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to Kandla Port Trust under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No. 319(E) dated 08.05.1991 in respect of employment of Contract Labour in the works given in the schedule against Sl. No. 8 (i), (ii) & (iv) to the said Notification.

The composition of the Committee will be as under:—

i.	Sh. Raj Bihari Sharma, Bhartiya Mazdoor Sangh, (BMS), 42, Patel Colony, Sardar Patel Marg, 'C' Scheme, Jaipur-302001	-Member
ii.	Shri Prabhakar Singh, Chief Engineer (NDZ-I), Central Public Work Deptt., Nirman Bhawan, New Delhi	-Member
iii.	Dy. CLC(C), Ahmedabad	-Member Convener

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:—

"To study whether there is justification for grant exemption Kandla Port Trust under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No. 319(E) dated 8.05.1991 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule Sl. No. 8(i) in the area of sweeping and removal of garbage and ash from the Port Area, 8(ii) in the area of plumbing and gardening works, conservancy, sanitation except plumbing and gardening works which form part of the new schemes and have to be carried out through out side agency and 8(iv) in the Port Trust Guest house to the said Notification.

4. The Headquarter of the Committee will be at Ahmedabad. The Committee shall hear the parties afresh, allow submission and submit its report within two months.

G. K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.